UPSR010004862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-182/2026

ओम प्रकाश उर्फ पटवारी उम्र 23 वर्ष पुत्र बृज बिहारी,

निवासी–मछरिहवा, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–85/2026
धारा–137(2), 115(2), 352, 351(3), 87 बी0एन0एस0
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 18.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **ओम प्रकाश उर्फ पटवारी** की ओर से अपराध संख्या 85/2026, धारा 137(2), 115(2), 352, 351(3), 87 बी0एन0एस0, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी महेश कुमार ने प्रभारी निरीक्षक थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 27.02.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि वादी परिवार सहित लुधियाना पंजाब में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। होली त्यौहार के लिये वादी व उसकी बहन सीमा उम्र 16 वर्ष दिनांक 24.02.2026 को लुधियाना से घर के लिये निकले। दिनांक 25.02.2026 को भंगहा मोड़ पर उतरे तथा बहन को बैठाकर फ्रेस होने चला गया तभी उसका दूर का रिश्तेदार ओम प्रकाश उर्फ पटवारी पुत्र जियावन निवासी मछरिहवा थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया जब वह मछरिहवा उसके घर पूछने गये तो उसने उसे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये उसे मारपीट कर भगा दिया। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.18 14:46:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचक द्वारा घटना के दो दिन बाद एफ0 आई0 आर0 पंजीकृत करायी है जिसमें देरी का कोई भी हवाला नहीं दिया जिससे घटना फर्जी व बनावटी बनाकर एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया गया है। अपहृता व अभियुक्त पति–पत्नी है । अपहृता व अभियुक्त दोनों बालिग है और स्वयं अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के पूर्ण अधिकार है तथा स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। आवेदक/अभियुक्त को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अपहृता के भाई ने अपराध पंजीकृत कराया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार श्रावस्ती में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी की बहन के साथ का व्यपहरण किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली व केस डायरी पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध संख्या 85/2026, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि उसकी गोद भराई हुई थी वह ओम प्रकाश से ही शादी करना चाहती थी क्योंकि उसी से उसकी शादी तय हुई थी। वह लुधियाना में अपने पिता के साथ में रहती है पर उसके घर वाले ओम प्रकाश से उसकी शादी नहीं करना चाहते थे इसलिए वह 24.02.2026 को वहॉ से बस में बैठकर आ गयी। वह मछरिहवा आ गयी थी वह ओम प्रकाश से शादी करना चाहती है। मछरिहवा तक लुधियाना से वह ओम प्रकाश के साथ आयी थी। उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। इस प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसका व्यपहरण करने से स्पष्ट इंकार किया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में पीड़िता की आयु 18 वर्ष अंकित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक

/अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ पटवारी का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **ओम प्रकाश उर्फ पटवारी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 18.03.2026